न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 197 / 2022

आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड, सैकिण्ड फ्लोर, मनउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, एच0एस0बी0सी0 बैंक के सामने, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी श्री अक्षय खण्डेलवाल।

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. शाहरूख खान पुत्र खुर्शीद अहमद,
   प्रथम पता पट्टा नम्बर 234, वार्ड नं0 19, ग्राम मण्डावा, जिला झुंझुनूं 333704
   द्वितीय पता– मार्फत साहीद जनरल स्टोर, वार्ड नं0 19, मण्डावा, जिला झुंझुनूं 333704
   तृतीय पता– 29, लीलागर्द का मौहल्ला, वार्ड नं0 19, मण्डावा, तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं 333704
2. खुर्शीद अहमद पुत्र मनीरूद्दीन,
   पता पट्टा नम्बर 234, वार्ड नं0 19, ग्राम मण्डावा, जिला झुंझुनूं 333704
3. सायरा खुर्शीद अहमद पत्नि खुर्शीद अहमद,
   प्रथम पता पट्टा नम्बर 234, वार्ड नं0 19, ग्राम मण्डावा, जिला झुंझुनूं 333704
   द्वितीय पता– मार्फत पठान फैन्सी स्टोर, चिमटा बाबा चौक, नियर रानी सती मन्दिर, मण्डावा, झुंझुनूं 333704
   तृतीय पता– 32, मण्डावा, तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋणी की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने के संबंध मे।

——

उपस्थितः–

1. एडवोकट श्री कंचनसिंह चौधरी, श्री रोताश कुलहरी– प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 10.11.2022

प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये ऋण अनुबन्ध संख्या 22851901 के तहत सम्पत्ति बंधक रख ऋण प्रदान किया गया था। इसलिए प्रार्थी बैंक उक्त ऋण बाबत सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत एवं सक्षम है। प्रार्थी बैंक के यहां ऋणी अप्रार्थीगण (खुर्शीद अहमद) ने ऋण हेतु आवेदन किया था [illegible] प्रार्थी बैंक के यहां अप्रार्थी द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति पट्टा नम्बर 234, वार्ड नं0 19, [illegible] मण्डावा, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1188 वर्गफीट को बंधक रख निम्न वर्णित ऋण खाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 15:09:44 IST
Reason: SelfAttested

Sr. No.	Loan A/c No.	Agreement Date	Amount	Date
1	22851901	15.09.2018	3,25,000 / –	[illegible]2022

के तहत ऋण अनुबन्ध की शर्तो के तहत ऋण सुविधा प्राप्त की गई थी जिसे अप्रार्थीगण–ऋणियों द्वारा मासिक किश्तों मे प्रार्थी बैंक को वापस अदा करना था। प्रार्थी बैंक ने ऋणी अप्रार्थी के मालिकाना हक की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 234, वार्ड नं0 19, ग्राम मण्डावा, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1188 वर्गफीट के हक के मूल दस्तावेजात् आदि प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सिक्योरिटी पेटे बंधक

62

रखे गये थे। प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण राशि को ऋण अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप तय मासिक किश्तों का भुगतान नही किया अर्थात नियमित मासिक किश्तों मे व्यतिक्रम किया। इस कारण ऋणी का ऋण खाता अक्रियान्वित आस्ति की श्रेणी मे (NPA) वर्गीकृत हो गया। ऋणी के ऋण खाते अक्रियान्विति आस्ति (NPA) की श्रेणी मे दिनांक 09.01.2022 को वर्गीगृत होने के कारण प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणियों को दिनांक 05.03.2022 का लिखा नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 08.03.2022 को भिजवाया गया तथा धारा 13 (2) के नोटिस का हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र मे दिनांक 17.03.2022 को प्रकाशन किया गया। जिसके तहत ऋणियों को नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर ऋण की बकाया राशि 3,10,402.92/– (अक्षरे तीन लाख दस हजार चार सौ दो रूपये बानवे पैसे) मय आगामी ब्याज प्रार्थी बैंक को अदा करने हेतु सूचित किया गया। लेकिन अप्रार्थीगण/ऋणियों ने उपरोक्त नोटिस अन्तर्गत धारा 13 (2) की विधिवत् सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् ना तो किसी प्रकार की राशि का भुगतान किया गया एवं ना ही नोटिस का कोई जबाब ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक को भिजवाया गया तथा किसी प्रकार की कोई उज्रदारी प्रार्थी बैंक को इस संदर्भ मे ऋणियों से प्राप्त नही हुई। प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण से उक्त राशि मय आगामी ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है जिसकी वसूली हेतु प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण ऋणियों की बंधक सम्पत्ति पट्टा नम्बर 234, वार्ड नं0 19, ग्राम मण्डावा, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1188 वर्गफीट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी है जिनको निलाम कर प्रार्थी बैंक ऋण राशि की वसूली कर सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि माननीय न्यायालय प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पट्टा नम्बर 234, वार्ड नं0 19, ग्राम मण्डावा, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1188 वर्गफीट जिसकी चारों सीमाओं मे पूर्व मे रास्ता, पश्चिम मे मकान असगर अली, उत्तर मे मकान हाजी सलीम, दक्षिण मे आम रास्ता स्थित है जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक है जो कानूनी रूप से सम्पत्ति को कुर्क करवाने व बेचान करने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को भौतिक रूप से कुर्क करने हेतु प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस सहायता दिलवाने का आदेश पारित करने की कृपा करे। अन्य कोई आदेश जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थी बैंक के हक मे पारित किया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व एकपक्षीय बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 16:09:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहे है व प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी / गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण / ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी सं0 2 खुर्शीद अहमद के मालिकाना हक की अचल संपत्ति पट्टा नम्बर 234, वार्ड नं0 19, ग्राम मण्डावा, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1188 वर्गफीट जिसकी चारों सीमाओं मे पूर्व मे रास्ता, पश्चिम मे मकान असगर अली, उत्तर मे मकान हाजी सलीम, दक्षिण मे आम रास्ता स्थित है का पजेशन प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 10.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 15:09:44 IST
Reason: SelfAttested